भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 743
जिसका उत्तर गुरुवार, 8 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

संविधियों/नियमों का अनुवाद अनुसूचित भाषाओं में किया जाना

743 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधियों/नियमों का अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किए जाने का कार्य धीमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भारत के संविधान और केन्द्रीय अधिनियमों के आधिकारिक पाठों के अनुवाद कार्य की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : विधायी विभाग का राजभाषा खंड (रा.भा.खं) और प्रादेशिक भाषा यूनिट (प्रा.भा.यू.) भारत के संविधान और सभी केन्द्रीय अधिनियमों का भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में यथावर्णित सभी भाषाओं में अनुवाद और उसे अद्यतन करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है । केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद का कार्य राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के साथ प्रादेशिक भाषा यूनिट द्वारा किया जाता है । इसलिए, प्रादेशिक भाषा यूनिट का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुवाद कार्य में सहयोग पर निर्भर करता है ।

(ग) से (ङ) : केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली, कश्मीरी, ओडिया, सिंधी, असमिया, नेपाली, कोंकणी, गुजराती और संस्कृत भाषाओं में भारत के संविधान का अनुवाद करना, अद्यतन करना, मुद्रण और प्रकाशन किया जा रहा है ।

****